कण्डिका क्रमांक – 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3476/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– रिवेन्यु वन/ वन भूमि परिक्षेत्रांतर्गत सड़क समानांतर 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./रिलिइंलि/आफाके/वनभूमि/2016–17 रायपुर दिनांक 01.08.2016

------0000------

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य बाबत् राष्ट्रीय राजमार्ग कटघोरा से चोटिया के मध्य सड़क के सामानांतर वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीउपरोड़ा से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है –

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर/कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	अन्य विवरण
1	पोड़ीउपरोड़ा	गुरसिया	P453	0.094	निरंक	वनभूमि
2	पोड़ीउपरोड़ा	बंजारी/मानिकपुर	P455	0.109	निरंक	वनभूमि
3	पोड़ीउपरोड़ा	लमना	P464	0.103	निरंक	वनभूमि
			P465			वनभूमि
			OA705	0.099		वनभूमि
4	पोड़ीउपरोड़ा	पोड़ी उपरेड़ा	OA736	0.103	निरंक	वनभूमि
5	पोड़ीउपरोड़ा	पर्ला	P481	0.031	निरंक	वनभूमि
6	पोड़ीउपरोड़ा	कोनकोना	OA733	0.077	निरंक	वनभूमि
			OA732	0.071		वनभूमि
	योग			0.687		
7	पोड़ीउपरोड़ा	तानाखार	374/1	0.005	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			184/1	0.027		बड़े झाड़ के जंगल
8	पोड़ीउपरोड़ा	पोड़ीउपरोड़ा	389	0.017	निरंक	जंगल
			80/1	0.003		जंगल

9	पोड़ीउपरोड़ा	चोटिया	381/1	0.017	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
योग				0.069		
महायोग				0.756		

प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है और न ही वितरण हेतु लंबित है।

अतः ग्राम सुतर्रा, चोटिया, पोड़ीउपरोड़ा, तानाखार, कोनकोना, परला, लमना,मानिकपुर, बंजारी, गुरसिया में वन भूमि रकबा 0.687 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.069 हेक्टेयर कुल रकबा 0.756 हेक्टेयर भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सक्षम विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एव वन भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(पी. दयानन्द)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./3477/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रतिलिपिः— 1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ीउपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार पोड़ीउपरोड़ा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा(छत्तीसगढ़)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)